

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

Email-govdentalcollege@gmail.com (GST-22JBPS02579D1D2)

क्रमांक/ 2332/ जीडीसी/मेन्ट/AMC-CMC/2023

रायपुर/दिनांक 24/4/23

प्रति,

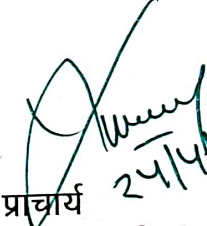
संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- रूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रण पत्र का प्रकाशन बाबत।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर में स्थापित लिफ्ट मेक-ओटीस कंपनी के वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किये जाने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रण का प्रस्ताव आपकी ओर भेजी जा रही है। कृपया इसे प्रदेश स्तरीय बहुप्रसारित 02 एवं स्थानीय स्तर के 01 समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार


प्राचार्य 24/4/23

शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

कार्यालय प्राचार्य
शासकीय दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

रजबंदा मैदान, रायपुर फोन 0771 2222990

Email-govdentalcollege@gmail.com (GST- 22JBPS02579D1D2)

.....

क्रमांक / 2332 / जीडीसी / मेन्ट / AMC-CMC / 2023

रायपुर दिनांक 24/4/23

रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव आमंत्रण

विषय:- महाविद्यालय में स्थापित लिफ्ट की वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किये जाने हेतु (दर) प्रस्तुत करने के संबंध में।

===XX===

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महाविद्यालय में स्थापित लिफ्ट मेक ओटीस 01 नग का वार्षिक रखरखाव (सी.एम.सी.) किया जाना है। उक्त कार्य हेतु पंजीकृत, अधिकृत, एवं अनुभवी फर्म से दर आमंत्रित किया जाना है। रुचि की अभिव्यक्ति के तहत संबंधित फर्म महाविद्यालय के वेब-साईड (www.govdentalcollegearaypur.in) तथा नोटिस पटल से जानकारी प्राप्त कर सील बंद लिफाफे में 09/05/2023 05:00 बजे तक कार्यालय में जमा कर सकते हैं।

नियम एवं शर्तें:-

1. निविदाकर्ता का वाणिज्य कर विभाग/जी.एस.टी. विभाग में पंजीयन होने का जीवित प्रमाण पत्र की छायाप्रति जमा करे।
2. लिफ्ट में खराब होने वाले पार्टस निर्माता कंपनी के ही होंगे।
3. शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में किये गये कार्यों का कार्य अनुभव सर्टिफिकेट या संस्था द्वारा जारी परफारमेंस सर्टिफिकेट जमा करे।
4. फर्म का पंजीयन होना अनिवार्य है। बिल में जी.एस.टी.एन. अति आवश्यक है।
5. किसी भी फर्म की कोई भी शर्त मान्य नहीं होगी।
6. आपके द्वारा वार्षिक रखरखाव सर्विस ठीक नहीं होने पर वार्षिक रखरखाव कभी भी समाप्त किया जा सकता है। एवं वार्षिक रखरखाव के भुगतान की राशि की वसूली भी किया जायेगा जिसके जिम्मेदार आपके फर्म स्वयं होंगे।
7. वार्षिक रखरखाव की राशि का भुगतान 6-6 माह की अवधि में किया जायेगा।
8. वार्षिक रखरखाव (नियम एवं शर्तें सहित) के संबंध में आपके एकरानामा/अनुबंध किया जाना होगा जिसमें आपको वार्षिक रखरखाव की सभी नियम एवं शर्तें मान्य होने के संबंध में प्रस्तुत किया जाना होगा। जो आदेश जारी होने के 07 दिवस के भीतर ही अनिवार्य होगा। कार्य आदेश जारी होने के पश्चात् सुरक्षा निधी के रूप में 5000.00 बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. प्राचार्य शासकीय दंत चिकित्सा के नाम से जमा करना होगा।
9. सेवा अवधि के दौरान किसी प्रकार की जान-माल की नुकसान की जिम्मेवारी आपकी होगी।
10. दर स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार क्रय समिति की होगी, जिसका कारण बताने के लिए क्रय समिति बाध्य नहीं होगा।

प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर

रायपुर दिनांक

पृ क्रमांक /
प्रतिलिपी:-

/ जीडीसी / मेन्ट / AMC-CMC / 2023

1. कार्यालय नोटिस पटल।

॥
प्राचार्य

शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर